An action plan has been formulated to complete these plants within a specified time frame and the progress against the plan is monitored regularly. In SCCL, most of the despatches are through coal handling plants.

Shifting of joint sampling venue

3575. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that CIL was compelled to shift the venue of joint sampling from unloading end to loading end, if so, what were the reasons therefor;

(b) the number of collieries so far regarded or regrouped on the basis of coal analysis during last five years; and

(c) what are the facilities available for SEB personnel to participate in the joint sampling work and whether this is comparable with the facilities available at TPS end?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) Coal Companies are responsible for suppy of correct quality and quantity of coal at the pit heads. This is also the point where the property in coal is transferred to the consumers or their transport agents. The quality and quantity of coal supplies have to be verified by the consumer at the point where he or his agent takes possession and any discrepancy regarding weight and quality should be sorted out on that basis. The legal responsibility of supplier ceases as soon as the property is transferred. This is also the position under Sales of Goods Act, 1930.

Government has also taken a decision that an independent third party inspection agency for quality assurance in coal should be established preferably through coal controller's Organisation on a self financing basis. All such quality inspections should be done at the colliery end before despatch and not at the consumers end after receipt.

(b) According to the information received from Coal India Ltd. the number of collieries regarded during the last five years are as under:

Year	No. of Collieries
1989-90	40
1990-91	66
1991-92	31
1992-93	176
1993-94	61
(upto 1-4-1998)	

(c) All facilities required for sampling at the loading ends have been created. Wherever State Electricity Boards (SEBs) come forward to participate in the sampling process at the loading end they are provided with all the facilities required for joint sampling.

कोयले की रायल्टी की दरों की समीक्षा किया जाना

3576. **श्री ब्रह्मदेव आनन्द पासवान:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या एम० ए० आर० डी० अधिनियम, 1959 के अंतर्गत रायल्टी की दरों की समीक्षा तीन वर्ष में केवल एक बार ही की जाती है ;

(ख) क्या कोयले की कीमत में तकरीबन प्रत्येक वर्ष वृद्धि की जाती है; और

(ग) क्या इससे राज्य सरकारों को रायल्टी का कोई नुकसान नहीं होता ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(3) केन्द्रीय सरकार को खनिजों पर रायल्टी की दरों में संशोधन करने की अनुमति देती है। किन्तु, उक्त धारा के उपबन्धों में यह व्यवस्था है कि रायल्टी की दरें 3 वर्ष की अवधि में केवल एक बार बढ़ाई जा सकती है।

(ख) जी, हां।

(ग) चूंकि कोयले पर रायल्टी की दरें विशिष्ट दरों पर निर्धारित की जा रही हैं, अतः कोयले की कीमतों में किसी तरह का परिवर्तन रायल्टी की दरों को प्रभावित नहीं करता है। किन्तु, चूंकि कोयले का उत्पादन प्रतिवर्ष लगातार बढ़ रहा है, राज्य सरकारों को देय कोयले पर रायल्टी में भी प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है।

कोयला परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब

3577. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला परियोजनाओं का कार्य पूरा करने में दस वर्ष लगे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इतना समय लगने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ पपियोजनाओं की प्रौद्योगिकी को भी बदल दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो चालू परियोजनाओं में प्रौद्योगिकी में परिवर्तन किये जाने के क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) योजना परियोजनाओं को पूर्ण किये जाने के संबंध में सामान्यतः समयावधि 4 से 8 वर्षों के बीच की होती है। वर्ष 1991-92 में कोल इण्डिया लि० में 44 परियोजनाएं पूरी की गयीं। यह किसी एक वर्ष में परियोजनायें पूरी किये जाने की सर्वाधिक संख्या है। भूमिगत परियोजनाओं और ओपेनकाहस्ट परियोजनाओं को पूरा किये जाने में औसतन क्रमशः 5 वर्ष 8 महीने और 4 वर्ष 2 महीने की अवधि लगती है। किन्तु भारत कोकिंग कोल लि० की दो भूमिगत खनन परियोजनाएं अर्थात् सुदामडीह तथा मूनीडीह, जिन्हें झरिया कोयला क्षेत्र में प्राइम कोककर कोयले के गहराई में स्थित भण्डारों का उत्खनन के लिये 1960 के दशक के आरम्भ में शुरू किया गया था, जिनके पूर्ण किये जाने में दस वर्ष से अधिक की अवधि लगी।

(ख) सुदामडीह परियोजना में देरी के के मुख्य कारण निम्न थे--(i) लो एंगल भू-गर्भीय कमियों के होने से उच्च रूप से व्यवधानकारी भू-गर्भीय स्थितियां उत्पन्न हो गयीं, जोकि आमतौर पर कोयलाधारी क्षेत्रों में नहीं पाई जाती हैं ; (ii) पोलैण्ड के विशेषज्ञों द्वारा चयनित प्रौद्योगिकी जिसकी सहायता से परियोजना की योजना तथा उसका निर्माण किया गया था, उसे अनुपयुक्त पाया गया ; (iii) आद्रा-गोमो रेवले लाइन, आदि के नीचे कोयले के उत्खनन पर महानिदेशक, खान सुरक्षा द्वारा लगाया गया प्रतिबन्ध। मुनीडीह परियोजना के मामले में देरी के मुख्य कारण निम्नलिखित थे : (i) आग्नेय घुसपैठ, अनगनित छोटे-छोटे थ्रो-फाल्ट्स तथा खान विकास के दौरान अनुभव किये गये अत्यधिक जलीय रिसाव ; (ii) हास्टिंग उपकरण तथा मुख्य वायु-प्रवेशकों की आपूर्ति में देरी ; (iii) पावर स्पोर्ट लांगवाल उपकरणों आदि का खराब कार्य-निष्पादन तथा साथ-साथ उसकी उसकी विलम्ब से आपूर्ति।